उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन अनुभाग-1
सं0-123/2018/सं0वि0क0नि0-1-रिट-1398/11-2018-1035(42)/18
लखनऊः दिनांकः 23 अगस्त, 2018

-: कार्यालय ज्ञाप :-

शासन की विज्ञप्ति/तैनाती/स्थानान्तरण सं0-सं0वि0क0नि0-1-229/11-2016-400टी(4)/2016 दिनांक 02.02.2016 द्वारा श्री हीरा लाल, डिप्टी कमिश्नर (उ0न्या0का0) वाणिज्य कर लखनऊ को डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर खण्ड-12, लखनऊ के पद पर स्थानान्तरित करते हुए डिप्टी कमिश्नर (उ0न्या0का0) वाणिज्य कर लखनऊ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

2- चूंकि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ पीठ में दाखिल वादों में विभाग की ओर से तैनात अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ श्री हीरा लाल, डिप्टी कमिश्नर द्वारा भी पैरवी की जाती है। अतः शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त शासकीय कार्यहित में डिप्टी कमिश्नर खण्ड-12, लखनऊ से वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के वैट वादों के निस्तारण का कार्य एवं वैट अधिनियम की धारा-31/32 के अन्तर्गत वादों के निस्तारण का कार्य डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर खण्ड-6, लखनऊ को स्थानान्तरित किया जाता है।

(मो0 मारूफ)
विशेष सचिव।

संख्याः सं0वि0क0नि0-1- रिट-1398 (1)/11-2018, तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश सहित प्रेषित कि कृपया उपर्युक्तानुसार लिये गये निर्णय के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
2. संबंधित अधिकारी द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ।
3. एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/2 वाणिज्य कर लखनऊ जोन, लखनऊ।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मो0 मारूफ
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।